



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 828]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 19, 2018/कार्तिक 28, 1940

No. 828]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 19, 2018/KARTIKA 28, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2018

**सा.का.नि. 1128(अ).**—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (वारहवां संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये 5 दिसंबर, 2018 से प्रवृत्त होंगे।

**2. आयकर नियम, 1962 में,—**

(i) नियम 114 में,—

(अ) उपनियम (3) के खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(v) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो किसी व्यष्टि से भिन्न निवासी है, जो किसी वित्तीय वर्ष में दो लाख पचास हजार रुपए या उससे अधिक की कुल रकम का वित्तीय संब्यवहार करता है और जिसे स्थायी लेखा संख्यांक आबंटित नहीं किया गया है, ऐसे वित्तीय वर्ष की ठीक पश्चात् 31 मई को या उससे पूर्व किया जाएगा;

(vi) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो खंड (v) में निर्दिष्ट व्यक्ति का प्रबंध निदेशक, निदेशक, भागीदार, न्यासी, लेखक, संप्रवर्तक, कर्ता, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रधान अधिकारी या पदाधिकारी है या खंड (v) में निर्दिष्ट व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम कोई व्यक्ति है और जिसे कोई स्थायी लेखा



माता या पिता के नाम का चयन करें, जिसे आप स्थायी लेखा संख्या में मुद्रित करवाना चाहते हैं (केवल किसी एक का चयन करें)

पिता का नाम  माता का नाम (जो लागू हो उसे चिह्नांकित करें)

(यदि कोई विकल्प नहीं दिया गया है तो पैन कार्ड पिता के नाम के साथ जारी किया जाएगा सिवाय उस दशा के, जहां माता एकल जनिता है और स्थायी लेखा संख्या के लिए आवेदन केवल माता का नाम देते हुए किया गया है)

[अधिसूचना सं. 82/2018/फा. सं. 370142/40/2016-टीपीएल (भाग-I)]

डॉ. टी.एस.मपवाल, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1068(अ), तारीख 25 अक्टूबर, 2018 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2018

**G.S.R. 1128(E).**—In exercise of the powers conferred by section 139A read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

**1. Short, title and commencement.**—(1) These rules may be called the Income-tax (Twelfth Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force from the 5<sup>th</sup> day of December, 2018.

**2. In the Income-tax Rules, 1962, —**

(I) in rule 114,—

(A) in sub-rule (3), after clause (iv), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(v) in the case of a person, being a resident, other than an individual, which enters into a financial transaction of an amount aggregating to two lakh fifty thousand rupees or more in a financial year and which has not been allotted any permanent account number, on or before the 31<sup>st</sup> day of May immediately following such financial year;

(vi) in the case of a person, who is the managing director, director, partner, trustee, author, founder, karta, chief executive officer, principal officer or office bearer of the person referred to in clause (v) or any person competent to act on behalf of the person referred to in clause (v) and who has not been allotted any permanent account number, on or before the 31<sup>st</sup> day of May immediately following the financial year in which the person referred to in clause (v) enters into financial transaction specified therein.”;

(B) in sub-rule (6),—

“(i) for the words, brackets and figures “under sub-rule (4) or intimation of Aadhaar number in sub-rule (5)”, the words, brackets and figures “under sub-rule (4), intimation of Aadhaar number in sub-rule (5) and issue of permanent account number” shall be substituted;

(ii) for the words “number and intimation of Aadhaar number”, the words “number, intimation of Aadhaar number and issue of permanent account number” shall be substituted.”;

